BAGHPAT POLICE

थाना खेकडा साइबर सेल टीम, जनपद बागपत

थाना खेकडा साइबर सेल, जनपद बागपत के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के खाते से 35,000/- रुपये की आँनलाइन धोखाधडी के सम्पूर्ण धनराशि 35,000/- रूपये वापस कराये गये–

1-पीड़ित रिंकू जैन पुत्र विजय कुमार जैन निवासी खेकडा कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आँनलाइन 35,000/- रुपये की धोखाधड़ी कर ली थी, जिसके सम्बन्ध मे आवेदक ने NCRP पोर्टल पर आँनलाइन शिकायत दर्ज कराई , जिसका ACK नं0 23106260117483 है । शिकायत प्राप्त होने पर थाना खेकडा साइबर सेल टीम प्रभारी उ0नि0 श्री नितिन कुमार व रि0 का0 605 नारायण द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, पीडित के बैंक खाते से आँनलाइन धोखाधडी की सम्पूर्ण धनराशि 35,000/- रुपये को कार्ट आर्डर के माध्यम से वापस कराया गया।

रुपये वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा थाना खेकडा जनपद बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0सं0	थाना	प्रा0 पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	थाना खेकड़ा	23106260117483	35,000/-

प्रेसनोट जनपद बागपत

थाना - चांदीनगर   दिनाँक 20.09.2026

थाना चांदीनगर पुलिस, स्वाट बागपत एवं सर्विलांस बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 92/26 धारा 103(1)/238A/3(5) BNS में फरार मुख्य आरोपी 25 हजार रुपये का इनामी अभियुक्त नरेशनाथ उर्फ नरेश कुमार को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 29.07.26 को थाना बिनौली पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि वादिया का भाई अंकित पुत्र मुकेश उम्र करीब 27 वर्ष व इसरार पुत्र रिडकू दिनांक 25.07.26 की दोपहर 12.00 बजे इसरार उपरोक्त के साथ उसकी मो0सा0 जिसका न0 UP17X7326 से घर से बिना बताए कहीं चले गये है। इस सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 92/26 धारा 140(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा दिनांक 13.08.26 को विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त उज्ज्वल पुत्र मनोज निवासी ग्राम पूरनपुर नवादा थाना चांदीनगर बागपत को गिरफ्तार करते हुए निशांदेही पर दोनों गुमशुदा 1. अंकित पुत्र मुकेश व 2. इसरार पुत्र रिडकू का शव ग्राम लहचौडा के गणेश मन्दिर परिसर से बरामद कर आवश्यक कार्यवाही की गयी व मुकदमा उपरोक्त में धारा 140(3) बीएनएस का लोप कर धारा 103(1)/238ए/395) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

फरार मुख्य अभियुक्त नरेश कुमार उर्फ नरेशनाथ पुत्र बाबूराम उर्फ अभयनाथ स्थायी निवासी पच्चा वाला कुण्डेश्वरी थाना काशीपुर जनपद उधम सिंह नगर राज्य उत्तराखण्ड हाल पता किराये का मकान फौजी, कालौनी कुण्डेश्वरी थाना काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) की गिरफ्तारी हेतु मा0 न्या0 से एन.बी.डब्लू प्राप्त किये गये थे एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के द्वारा गिरफ्तारी पर 25000/ रूपये का ईनाम घोषित किया गया हुआ था।

घटना में आरोपी साधु नरेशनाथ ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर दोनों युवकों को पहले नशीली गोलियां मिलाकर चाय पिलाई। इसके बाद उन्हें जहरीला इंजेक्शन लगाया और फिर लहचौड़ा स्थित श्रीगणेश मंदिर परिसर में गड्ढा खोदकर दोनों की हत्या कर शवों को दफना दिया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस, स्वाट बागपत एवं सर्विलांस सेल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0स0 92/26 धारा 140(3) बीएनएस तरमीम धारा 103(1)/238ए/395) बीएनएस में प्रकाश में आये मुख्य अभियुक्त नरेश कुमार उर्फ नरेशनाथ को सर्विलान्स सैल टीम की मदद से जनपद नार्थ -24 परगना पश्चिम बंगाल थाना बागूयटी श्री गोरखनाथ मंदिर से दिनांक 18.09.2026 को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार सम्बन्धित माननीय न्यायालय से ट्राजिस्ट रिमान्ड पर लेकर नियमानुसार बागपत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नरेश कुमार उर्फ नरेशनाथ पुत्र बाबूराम उर्फ अभयनाथ स्थायी निवासी पच्चा वाला कुण्डेश्वरी थाना काशीपुर जनपद उधम सिंह नगर राज्य उत्तराखण्ड हाल पता किराये का मकान फौजी, कालौनी कुण्डेश्वरी थाना काशीपुर जिला ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.निरीक्षक अपराध श्री रामचन्द्र सिंह थाना चांदीनगर,
2.उ0नि0 श्री रंजीत स्वाट टीम प्रभारी जनपद बागपत
3.का0 209 मनीष कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत
4. है0का0 370 इरशाद स्वाट टीम जनपद बागपत
5. है0का0 49 प्रमोद कुमार स्वाट टीम जनपद बागपत
6. का0 375 मोनू शर्मा स्वाट टीम जनपद बागपत
7.सर्विलांस सेल टीम जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दि0 20.09.2026**

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने बैंक के साथ धोखाधडी करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरणः-

माननीय न्यायालय बागपत के विभिन्न आदेश अन्तर्गत धारा 173(4) के आधार पर आवेदक क्षेत्रीय प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा श्री राजेश कुमार खरे हाल तैनाती क्षेत्रीय कार्यालय, मंगल पाण्डे नगर, मेरठ के विभिन्न प्रार्थना पत्रो पर अभियुक्तों द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचकर, कपटपूर्वक जालसाजी करके, फर्जी दस्तावेज रचकर व खुद को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए कथित तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ धोखाधड़ी करके लोक धन को अवैध तरीके से केसीसी के माध्यम से हड़प कर लेना,

उपरोक्त प्रार्थना पत्रो के आधार पर क्रमशः 1.दिनांक 12.05.26 को मु0अ0सं0 318/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0 1. पप्पू पुत्र स्व0 श्री दारा सिंह 2. महावीरा पुत्र सुरती 3. अन्य अज्ञात व्यक्ति ,

2.दिनांक 20.05.26 को मु0अ0सं0 337/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0 1. सुखपाल, 2. राजेन्द्र उर्फ राजेन्द्र सिंह,. 3. अन्य अज्ञात व्यक्ति ,

3.दिनांक 29.05.2026 को मु0अ0सं0 366/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0गण 1.विनीत उर्फ विनीत कुमार उम्र लगभग 34 वर्ष पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह 2. पप्पू व अन्य अज्ञात व्यक्ति,

4.दिनांक 31.05.26 को मु0अ0सं0 370/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0गण 1. महावीरा उर्फ महावीरा 2. पप्पू व अन्य अज्ञात व्यक्ति,

5.दिनांक 08.06.26 को मु0अ0सं0 399/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0गण 1. रिशपाल उर्फ रिषिपाल 2. दिनेश कुमार व अन्य अज्ञात व्यक्ति,

6. दिनांक 26.07.26 को मु0अ0सं0 531/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0 1. दिनेश कुमार पुत्र श्री महावीर सिंह 2. रिशपाल उर्फ रिषिपाल पुत्र श्री खचेडू व अन्य अज्ञात व्यक्ति,

7. दिनांक 31.07.26 को मु0अ0सं0 548/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0 1. गोपी 2. सुखपाल व अन्य अज्ञात व्यक्ति,

8. दिनांक 16.09.26 को मु0अ0सं0 664/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि बनाम अभि0गण 1. महावीर 2. पप्पू व अन्य अज्ञात व्यक्ति के पंजीकृत किये गये।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे 03 अभियुक्तों को दिनांक 19.06.26 को समय करीब 17.50 बजे छपरौली नहर पुल के पास कस्बा बडौत से गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पताः-

1. रिषीपाल पुत्र खचेडू निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत।
2. पप्पू पुत्र दारा सिंह निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ।
3. सुखपाल पुत्र वेदू उर्फ बेदू निवासी ग्राम शेरपुर लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त रिषीपाल का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 531 /26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि थाना बडौत बागपत।
2.मु0अ0स0 399/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि थाना बडौत बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त पप्पू का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 664/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि थाना बडौत बागपत।
2.मु0अ0स0 366/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि थाना बडौत बागपत।
3.मु0अ0स0 318/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि थाना बडौत बागपत।
4.मु0अ0स0 370/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि थाना बडौत बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त सुखपाल का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 548/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि थाना बडौत बागपत।
2.मु0अ0स0 337/26 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि थाना बडौत बागपत।

गिरफ्तार/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1-निरीक्षक अपराध श्री राम कुमार कुन्तल थाना बडौत
2 उ0नि0 आरिफ अली थाना बडौत
3- है0का0 139 नीरज कुमार थाना बडौत
4- है0का0633 रुस्तम थाना बडौत

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 20.09.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 637/26 धारा 325/271/272 बीएनएस व 3/11 पशु क्रूरता से सम्बधित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से पशु अवशेष व पशु काटने के औजार 02 छुरी व एक सुम्भी बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 637/26 धारा 325/271/272 बीएनएस व 3/11 पशु क्रूरता से सम्बधित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से पशु अवशेष व पशु काटने के औजार 02 छुरी व एक सुम्भी बरामद हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.सलमान पुत्र गुलफाम निवासी मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना बागपत जिला बागपत उम्र करीब 30 वर्ष

2.सूफियान पुत्र इनाम निवासी मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना बागपत जिला बागपत उम्र 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- पशु अवशेष।
- 02 छुरी व
- 01 सुम्भी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 शारिक अली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2. है0का0 151 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत

3. है0का0 652 मोहित कुमार थाना कोतवाली बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 20.09.2026

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाना कोतवाली बागपत में पंजीकित मु0अ0स0 --0421/2026, धारा 2(b)(xi)/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित 25 हजार रूपये का ईनामी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधो की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली बागपत में पंजीकित मु0अ0स0 --0421/2026, धारा 2(b)(xi)/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित 25 हजार रूपये के ईनामी 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

ओमबीर पुत्र कर्ण सिंह निवासी ग्राम बिहारीपुर, थाना कोतवाली, जनपद बागपत, उम्र करीब 54 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 754/25 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2.मु0अ0सं0 0421/2026, धारा 2(b)(xi)/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री स्नेह प्रकाश थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

2-उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-है0का0 689 बिपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

4- है0का0 546 विपिन सिरोही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

5. रि0 आरक्षी 565 अजीत कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा   दिनाँक 20.09.2026

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चे को सकुशल बरामद कर उसके परिवारीजन को सुपुर्द किया गया।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा गुमशुदा करीब 10 वर्षीय बच्चे को सकुशल तलाश कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। बच्चे के सकुशल मिलने पर परिजनों द्वारा थाना खेकड़ा पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0 नि0 श्री कपिल कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

2. है0 का0 793 राजेश कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।